प्रेस नोट दिनाँक-31.08.2020

(1). आज दिनाँक 31.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा कालूपुर स्थित पुराने पुलिस कार्यालय में निवनिर्मित अभिलेखागार का लोकार्पण किया गया। महोदय द्वारा प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार सिंह को बताया गया कि प्रधान लिपिक कार्यालय, बाचक कार्यालय, आकिंक कार्यालय एवं डीसीआरबी कार्यालय का पुराना रिकार्ड नवनिर्मित अभिलेखागार में रखवायें।

इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रभारी डायल 112 श्री राजेश कुमार सिंह, निरीक्षक श्री चित्रसेन सिंह क्राईम ब्रांच, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनाँक 31.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा निर्माणाधीन थाना भरतकूप का निरीक्षण कर निर्माण कार्य कर रहे कम्पनी के कर्मचारियों को नक्से के अनुसार निर्माण कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके पश्चात थाना भरतकूप का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरिक, कार्यालय में साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि बैरिक या कार्यालय में लगे कूलरों की नियमित साफ-सफाई करें पुराने पानी को नियमित रुप से बदलते रहें। निरीक्षण के दौरान आगन्तुक रजिस्टर कोविड-19 रजिस्टर का आवलोकन किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक भरतकू श्री संजय उपाध्याय को निर्देशित किया गया कि जो भी आगन्तुक आये उनके तापमान की नाप कर उनका नाम-पता आवश्य नोट करवाते रहें। शस्त्र सत्यापन रजिस्टर का अवलोकन कर शस्त्रों के शत प्रतिशत सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा बीट आरक्षियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने बीट क्षेत्रों में पुराने विवादों की जानकारी कर बीट सूचना अंकित करायें तथा उच्चाधिकारियों को अवगत करायें। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा डियूटी रजिस्टर को चैक कर प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिये गये कि प्रतिदिन बैंक डियूटी, पिकेट डियूटी को चैक करें तथा पैट्रोल पम्प को चैक कर सीसीटीवी कैमरे की स्थिति देखते रहे कि वह सही तरीके से कार्य कर रहें हैं या नहीं। सभी अभिलेखों को अद्यवधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके पश्चात महोदय द्वारा आर्यवर्त बैंक शाखा भरतकूप का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा डियूटी पर लगे पुलिस कर्मियो को निर्देश दिये गये कि बैंक आने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनवाकर लाइन लगवायें। बैंक में लगे हार्न को बजवाकर चैक किया गया, बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को चैक किया गया तथा शाखा प्रबंधक को परिसर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु निर्देश दिये गये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री पंकज कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में दो अलग-अलग स्थानों से 13 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार कर कुल 86520/- रुपये बरामद किये गये।

(क). उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम पुरानी बाजार से अभियुक्त 1. मुकेश कुमार केवट पुत्र मुन्नालाल 2. अबरार हुसैन पुत्र इश्तेयाक हुसैन 3. अमीन खां पुत्र समीर खां 4. अजरुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन निवासीगण द्वारिकापुरा 5. जावेद अली पुत्र शावित अली निवासी काली देवी चौराहा 6. प्रवीण कुमार पटेल पुत्र लालप्रताप निवासी भैंरोपागा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 72500/- रुपये, जामातलाशी 6820/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

मालफड़ 72500/- रुपये, जामातलाशी 6820/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार
4. उ0नि0 श्री वारिज
5. आरक्षी अरुण कुमार यादव
6. आरक्षी योगेन्द्र सिंह

(ख). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा निवुआ पुरवा जाने वाले मोड से अभियुक्त 1. जानकी पुत्र मुन्नालाल 2. जयकरन पुत्र मुरलीधर 3. सुलताना पुत्र मजनुआ 4. आशोक कुमार तिवारी पुत्र कामता 5. कल्लू पुत्र रामसजीवन निवासीगण खोही 6. रामप्रकाश पुत्र नत्थु यादव निवासी बिहारा 7. अमीर बक्श पुत्र सुलेमान निवासी निबुआ पुरवा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 5710/- रुपये, जामातलाशी 1490/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

मालफड़ 5710/- रुपये, जामातलाशी 1490/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार
3. आरक्षी श्यामू कुशवाहा
4. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
5. आरक्षी शिवकुमार मिश्रा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामिया, मफरूर, टॉप-10 अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री पंकज कुमार पांडेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा 07 वर्षो से मफरूर घोषित, 25000 का इनामी अपराधी राजेंद्र पासी पुत्र सखीचंद्र पासी निवासी साहबपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को पटेल तिराहे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 456/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में मु0अ0सं0 1550/96 धारा 147/148/149/307 भादवि0 में मफरूर घोषित किया गया था । यह शातिर अभियुक्त शातिर किस्म का अभियुक्त है इसके विरुद्ध जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन, धूमनगंज, घूरपुर, लालापुर, नैनी में लगभग एक दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं। यह पिछले 20 वर्षों से अपना पता बदल कर इंदलपुर डांडी थाना नैनी जनपद प्रयागराज में रह रहा था।

बरामदगीः-

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्या
3. आरक्षी सर्वेश मौर्या
4. महिला आरक्षी संगीता

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अजीत प्रताप सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शील पुत्र

राजेन्द्र सिंह निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 800 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किय गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 455/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

800 ग्राम सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री अजीत प्रताप सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. आरक्षी मंगल सविता
3. आरक्षी शिवनरेश द्विवेदी
4. आरक्षी रणवीर सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 30.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना बरगढ़ में 09 व्यक्तियों एवं थाना मऊ में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(7). आज दिनांक 31.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पारिवारिक रिश्तों को बचाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर प्रार्थिया माण्डवी देवी की उसके पति अर्जुन सिंह से सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्री अर्जुन सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी तरगुंवा थाना बरगढ़ का अपनी ही पत्नी श्रीमती माण्डवी सिंह से दिनांक 11.04.2020 को विवाद हुआ था जिसमें पति द्वारा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुये पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को परिवार परामर्श केन्द्र बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कर उनके बीच सुलह समझौता कराया गया एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न करने हेतु कहा गया। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हुते अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा गोईया रोड कस्बा बरगढ़ से अभियुक्त 1. राजू भाट पुत्र मलखान भाट निवासी पतेरी थाना पनवार जनपद रीवा म0प्र0 2. गोविन्द पुत्र श्याम बहादुर निवासी शिवपुर थाना पनवार जनपद रीवा म0प्र0 को डीसीएम नं0 यूपी0 70 एफटी 2247 में 10 छोटे बड़े पड़वों को क्रूरता पूर्वक लादकर ले जाते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 61/2020 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। डीसीएम को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगीः-

डीसीएम नं0 यूपी0 70 एफटी 2247
10 छोटे बड़े पडवा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा थाना बरगढ़
2. उ0नि0 श्री रामसिंह
3. आरक्षी रविप्रकाश
4. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(9). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2030 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनाँक 30/08/2020 को समय 16:41 बजे इवेंट संख्या 8347 द्वारा घटनास्थल बघौरा थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर अंजना w/o रामचंद्र द्वारा सूचना दी गयि कि उनके पति रोज मारते हैं गाली गलौज कर रहे है घायल भी है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर अंजना जी ने बताया कि मेरे पति ब्लड प्रेशर के मरीज है, मुझसे रोज लड़ाई करते है और मेरे साथ मारपीट करते है। कॉलर एक पुड़िया में जहर लिये थी कॉलर कह रही थी कि मैं आज मर जाऊंगी। पीआरवी कर्मियों ने महिला को समझा बुझाकर जहर ले लिया और पति पत्नि दोनो को समझाया और पति रामचंद्र को हिदायत दी कि अब अपनी पत्नी के साथ झगड़ा व मारपीट नही करेंगे और कॉलर को बताया गया कि यदि पति परेशान करे तो थाना कोतवाली कर्वी में प्राथना पत्र दे।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर – मुख्य आरक्षी छोटेलाल
सब कमांडर - आरक्षी मोहम्मद आरिफ
पायलट - आरक्षी अब्दुल शाहजहां